इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2020—कार्तिक 22, शक 1942

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

अधि.क्र. 395—एफ—1—246—2020—अठारह—3.— भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (कमांक 23 सन् 1956) की धारा 138 के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 126 के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संपत्ति कर की गणना के प्रयोजन के लिए कर योग्य सम्पत्ति मूल्य के निर्धारण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (भवनों एवं भूमियों के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं.**–इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "**अधिनियम**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961;

(ख) "**उपाबंध**" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(ग) "**वार्षिक भाड़ा मूल्य**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका (भवनों/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 5 के अधीन निर्धारित वार्षिक भाड़ा मूल्य ;

(घ) "**कर निर्धारण प्ररूप**" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ङ) "**कलक्टर**" से अभिप्रेत है, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) में यथा विनिर्दिष्ट कलक्टर;

(च) "**कलक्टर गाइडलाइन**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश बाज़ार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धातों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 के उपबंधों के अधीन कलक्टर द्वारा जारी भवनों तथा भूमियों के बाज़ार मूल्य को निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शिका;

(छ) "**व्यावसायिक या औद्योगिक**" से अभिप्रेत है, ऐसे भवन या भूमि जिस पर कोई कारोबार किया जाता है, दुकान चलाई जा रही है, कारखाना स्थापित है, व्यापार, धन्धा किया रहा है या किसी प्रकार की कोई अन्य समकक्ष गतिविधियां संचालित की जा रही हैं या ऐसी गतिविधियों के लिए संरक्षित है;

(ज) "**निर्मित क्षेत्र**" से अभिप्रेत है, भवन के स्वामी के स्वामित्व के भवन के प्रत्येक तल पर निर्मित क्षेत्र;

(झ) "**नगरपालिका**" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद्;

(ञ) "**नगरपालिका अधिकारी**" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की दशा में नगरपालिका आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नगरपालिक निगम का कोई अधिकारी या सेवक तथा नगरपालिकाओं तथा नगर परिषदों की दशा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संबंधित नगरपालिका या नगर परिषद् का कोई अधिकारी या सेवक;

(ट) **"आवासीय"** से अभिप्रेत है, आवासीय प्रयोजन के लिए सुरक्षित कोई भूमि या आवासीय उपयोग हेतु निर्मित कोई भवन, जिनका उपयोग आवासीय प्रयोजन से ही किया जा रहा है, परन्तु इसमें ऐसा कोई भवन सम्मिलित नहीं होगा, जो निर्मित आवासीय प्रयोजन से है किन्तु उनका उपयोग व्यावसायिक प्रयोजन से किया जा रहा है;

(ठ) **"कर योग्य संपत्ति मूल्य"** से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 5 के अधीन निर्धारित कर योग्य संपत्ति मूल्य;

(ड़) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष जो एक अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होगा।

3. **नगरपालिका क्षेत्र का वर्गीकरण.**– प्रत्येक नगरपालिका सुसंगत वर्ष के लिए कलक्टर के मार्गदर्शन के अधीन निर्धारित संबंधित जिले के क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार नगरपालिक क्षेत्रों को वगीकृत करेगी:

परन्तु, किसी क्षेत्र के वर्गीकरण में अस्पष्टता होने की दशा में कलक्टर के मतानुसार वर्गीकरण विधिमान्य होगा।

4. **भवन तथा भूमियों का वर्गीकरण.**– प्रत्येक नगरपालिका सुसंगत वर्ष के लिए कलक्टर के मार्गदर्शन के अधीन निर्धारित भवन तथा भूमियों के वर्गीकरण के अनुसार नगरपालिक क्षेत्र में अवस्थित भवन तथा भूमि को वर्गीकृत करेगी:

परन्तु, किसी क्षेत्र के वर्गीकरण में अस्पष्टता होने की दशा में कलक्टर के मतानुसार वर्गीकरण विधिमान्य होगा।

5. **कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण.**– प्रत्येक नगरपालिका द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित प्रत्येक भवनों तथा भूमियों के लिए कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा–

(1) इन नियमों के अधिसूचित होने के वर्ष में, भवन या भूमि का कर योग्य सम्पत्ति मूल्य उक्त भवन या भूमि के वार्षिक भाड़ा मूल्य के बराबर होगा।

(2) भवन या भूमि के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य में न्यूनतम वृद्धि आगामी वर्ष में विगत वर्ष की कलक्टर गाइडलाइन में निर्धारित भवन या भूमि के बाजार मूल्य में वर्तमान वर्ष में हुई प्रतिशतता वृद्धि के अनुरूप, जैसा कि उपाबंध–1 के उदाहरण में दर्शाये अनुसार होगा:

परन्तु यह कि यदि वर्तमान वर्ष में कलक्टर गाइडलाइन के अधीन भूमि या भवन के बाजार मूल्य में विगत वर्ष से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो कर योग्य संपत्ति मूल्य में अधिकतम 10 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि कलक्टर गाइडलाईन में कमी होने पर या वृद्धि न होने पर कर योग्य संपत्ति मूल्य विगत वर्ष के अनुसार ही रहेगा।

(3) (क) इन नियमों के अधिसूचित होने के पश्चात्, नगरपालिका की सीमा में नवनिर्मित भवन का कर योग्य संपत्ति मूल्य उप-नियम (1) में परिभाषित उक्त क्षेत्र के वार्षिक भाड़ा मूल्य के अनुसार निर्धारित होगा तथा उक्त के अनुसार किसी वर्ष के लिए कर योग्य संपत्ति मूल्य की गणना की जाएगी ;

(ख) इन नियमों के अधिसूचित होने के पश्चात् ऐसी भूमि तथा भवन जिनका कर योग्य सम्पत्ति मूल्य नगरपालिका द्वारा पूर्व से निर्धारित नहीं किया गया हो, का कर योग्य संपत्ति मूल्य उप-नियम (1) में परिभाषित उक्त भवन एवं भूमि के निकटस्थ क्षेत्र में कर योग्य सम्पत्ति मूल्य जैसा कि नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा जैसा कि कर योग्य सम्पत्ति मूल्य किसी वर्ष के लिए तद्नुसार गणना की जाएगी ;

(ग) नगरपालिका क्षेत्र की वृद्धि होने पर नगरपालिका सीमा में सम्मिलित होने वाले भवन एवं भूमि का कर योग्य संपत्ति मूल्य उप-नियम (1) में परिभाषित उक्त भवन एवं भूमि के निकटस्थ क्षेत्र के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य, के अनुसार नगरपालिका द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा कर योग्य संपत्ति मूल्य किसी वर्ष के लिए तद्नुसार गणना की जाएगी।

6. **नगरपालिका द्वारा संकल्प का अंगीकरण.**– प्रत्येक नगरपालिका द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने की तारीख से अधिकतम एक महीने के भीतर निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश करते हुए एक संकल्प अंगीकृत करना अनिवार्य होगा–

(एक) नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 135 के उपबंधों के अधीन नगरपालिक निगम की दशा में एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127-क के अधीन नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद की दशा में संपत्ति कर की ऐसी दरों का निर्धारण, जो कर योग्य सम्पत्ति मूल्य के छह प्रतिशत से कम तथा दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(दो) नियम 5 के अधीन भवनों तथा भूमियों का कर योग्य सम्पत्ति मूल्य के दरों का निर्धारण करने के प्रयोजन से भवनों के निर्मित क्षेत्र के लिए वार्षिक प्रतिवर्ग मीटर तथा भूमियों के क्षेत्र के लिए वार्षिक प्रतिवर्ग मीटर का निर्धारण;

(तीन) उस तारीख का निर्धारण जिसके भीतर भवन या भूमि के स्वामियों द्वारा विवरणी तथा संपत्तिकर की रकम का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(चार) खण्ड (तीन) के अधीन नियत की गई तारीख के भीतर संपत्तिकर की रकम के साथ विवरणी प्रस्तुत न करने पर देय अधिभार (सरचार्ज) की दर का निर्धारण।

7. **संकल्प के अंगीकृत नही होने के दशा में विगत वर्ष की दरों का विद्यमान रहना .–** यदि किसी वर्ष में नगरपालिका नियम 6 के उपबंधों के अधीन संकल्प अंगीकरण नहीं करती है, तो भवनों/भूमियों के स्वामी विगत वर्ष की दरों के आधार पर विवरणी के साथ कर की रकम अंतरिम रूप से जमा करेंगे और चालू वर्ष के लिए दरों की घोषणा की जाने पर अंतर की रकम, यदि कोई हो, के साथ पुनरीक्षित विवरणी जमा की जाएगी।

8. **संकल्प का प्रकाशन.–** जैसे ही नगरपालिका द्वारा नियम 6 के अधीन संकल्प का अंगीकरण किया जाता है, नगरपालिका अधिकारी द्वारा नागरिकों की जानकारी के लिए संकल्प को नगरपालिका की वेबसाईट पर तथा कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिनका प्रसारण नगरपालिका क्षेत्र में हो साथ ही ऐसे संकल्प की प्रतियां नागरिकों के अवलोकनार्थ नगरपालिका के सभी कार्यालयों में रखी जाएंगी।

9. **कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की गणना .–** नियम 5 के अधीन निर्धारित दरों के आधार पर कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की गणना की जाकर उसमें से निम्नलिखित कटौती के पश्चात् जो शुद्ध कर योग्य सम्पत्ति मूल्य आएगा, उस पर नियम 6 में नियत की गई दर के अनुसार यथास्थिति नगरपालिक निगमों की दशा में अधिनियम की धारा 136 के उपबंधों के अध्यधीन तथा नगरपालिक परिषद् तथा नगर परिषदों की दशा में अधिनियम की धारा 127–क की उप–धारा (2) के अध्यधीन रहते हुए संपत्तिकर देय होगा ।

भवनों के रखरखाव के प्रयोजन के लिए दस प्रतिशत, यह और भी कि यदि किसी भवन स्वामी द्वारा अपने किसी भवन में जल पुनर्भरण, भू–जल संवर्धन या धूसर जल पुनर्चक्रण के लिए योग्य तकनीकी उपकरण लगाए जाते हैं, तब ऐसे भवन के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य में भवनों के रख–रखाव के प्रयोजन से निर्धारित 10 प्रतिशत कटौती के उपरांत 6 प्रतिशत कीं और कटौती की पात्रता उस वर्ष के लिए मान्य की जाएगी, जिस वर्ष में ऐसे तकनीकी उपकरण लगाए गए हों।

10. **संपत्ति कर का स्व–निर्धारण.–**

(1) नगरपालिक क्षेत्र का प्रत्येक भवन या भूमि स्वामी अपनी संपत्ति के कर योग्य सम्पत्ति मूल्य और उस पर देय संपत्ति कर की रकम की गणना, नियम 8 के उपबंधों के अनुसार नगरपालिका द्वारा प्रकाशित संकल्प में वर्णित कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की दर के अनुसार स्वयं करेगा और देय संपत्ति कर की रकम में नगरपालिक निगम की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132 की उप–धारा (5) तथा नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् की दशा में मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127 की उप–धारा (5) के अधीन निर्धारित दर पर सामान्य स्वच्छता कर,

सामान्य प्रकाश कर तथा सामान्य अग्निकर की समेकित रकम तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य उपकरों को जोडते हुए, इन नियमों के संलग्न विवरणी में जानकारी अंकित कर उल्लिखित करों तथा उपकरों की समेकित रकम विहित समय सीमा के भीतर विवरणी सहित नगरपालिका में जमा करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति नगरपालिक क्षेत्र में एक से अधिक भवन या भूमि का स्वामी है, तब ऐसा प्रत्येक स्वामी अपने प्रत्येक भवन या भूमि के लिए पृथक्–पृथक् विवरणी सहित कर की रकम का भुगतान करेगा, परन्तु नगरपालिक निगमों की दशा में धारा 136 के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन तथा नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् की दशा में धारा 127–क की उप–धारा (2) के खंड (ख) उपबंधित छूट के प्रयोजन के लिए उसके समस्त भवनों या भूमियों या दोंनो के संकलित कर योग्य सम्पत्ति मूल्य को ही आधार माना जाएगा। उपरोक्तानुसार जिस तारीख को विवरणी प्रस्तुत की गई हो, उस तारीख से साठ दिनों के भीतर यदि भवन या भूमिस्वामी उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में कोई त्रुटि पाई जाती है तब ऐसा भवन या भूमिस्वामी पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा और यदि पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार संपत्तिकर की रकम अधिक होती है तब पुनरीक्षित विवरणी के साथ ऐसी रकम नगरपालिका में जमा करेगाः

परन्तु यदि पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार पूर्व में जमा की गई संपत्तिकर की रकम अधिक थी, तब वह ऐसी अधिक रकम को वापस करने की मांग कर सकेगा, जिस पर संवीक्षा करने के पश्चात् यदि मांग सही पाई जाती है, तब ऐसी अधिक रकम वापस करने या आगामी वर्ष में समायोजन के आदेश नगरपालिका अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे।

11. **कर की रकम जमा करने के लिए पद्धति घोषित करना.–** प्रत्येक नगरपालिका सम्पत्ति कर की रकम जमा करने के लिए विभिन्न पद्धति यथा ऑनलाइन, काउंटर या नामनिर्दिष्ट एजेंसियां तथा बैंकों की शाखाएं आदि घोषित करेगी ।

12. **विवरणी की संवीक्षा.–** नियम 10 के अधीन प्राप्त विवरणी की संवीक्षा पर यदि नगरपालिका अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि उसमें वर्णित कोई जानकारी सही नहीं है या शंकास्पद है या किसी अन्य कारण से कर योग्य संपत्ति मूल्य का पुनर्निर्धारण आवश्यक समझा जाता है, तब अधिनियम के उपबंधों के अधीन नगरपालिक अधिकारी द्वारा कर योग्य संपत्ति मूल्य के पुनर्निर्धारण के लिए कार्रवाई की जा सकेगीः

परन्तु पुनर्निर्धारण में किसी ओर से दस प्रतिशत की फेरफार को ध्यान में नहीं लिया जाएगा किन्तु जहां फेरफार दस प्रतिशत से अधिक हो, वहां यथास्थिति, ऐसी शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा, जो ऐसे स्वामी द्वारा किए गए स्वनिर्धारण तथा नगरपालिका द्वारा किए गए पुनर्निर्धारण के अंतर की रकम के पांच गुने के बराबर होगीः

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक के अधीन नगरपालिका अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील उक्त आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर नगरपालिक निगम की दशा में मेयर–इन–कौंसिल तथा नगरपालिका

परिषद् एवं नगर परिषद् की दशा में प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल को की जा सकेगी, जिस पर यथास्थिति, मेयर–इन–कौंसिल या प्रेसीडेन्ट–इन–कौंसिल द्वारा संबंधित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् अपना विनिश्चय दिया जाएगा, जो अंतिम होगा:

परन्तु यह और भी कि नियम 10 के अधीन जमा की गई विवरणी की संवीक्षा, विवरणी की प्राप्ति से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर या आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व, जो भी पूर्ववत्त हो, की जा सकेगी। उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् विवरणी की समीक्षा नहीं की जाएगी।

13. **विवरणी के प्रस्तुत न करने पर प्रक्रिया.–** यदि कोई भवन या भूमि स्वामी नियत तारीख के भीतर विवरणी सहित कर की रकम नगरपालिका में जमा नहीं करता है तब कर योग्य रकम पर नियम 6 के अधीन निर्धारित दर पर अधिभार (सरचार्ज) देय होगा।

14. **करदाताओं को सम्पत्ति कर के खाते के ब्यौरे उपलब्ध कराना.–** प्रत्येक सम्पत्ति करदाता को यथासम्भव प्रत्येक नगरपालिका द्वारा ऑनलाईन उसकी संपत्ति करदाता के ब्यौरे, उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। खाते में बकाया संपत्ति कर की रकम एवं किसी भी कालावधि के दौरान बकाया कर के विरूद्ध निर्मित भुगतान के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

15. **निरसन.–** मध्यप्रदेश राजपत्र में, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त समस्त नियम, उप–नियम, उपविधियां, आदेश आदि, यदि कोई हों, निरसित हो जाएंगे:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों, के अधीन कोई नियम, उप–नियम, उपविधियां या किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

उपाबंध–एक

(नियम 5 देखिए)

अधिसूचना वर्ष :कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण

अधिसूचना वर्ष	भवन एवं भूमि का कर योग्य सम्पत्ति मूल्य (रुपये/वर्ग मी0) = वर्तमान वर्ष का वार्षिक भाड़ा मूल्य (रुपये/वर्ग मी0)
2020–21	170 (यदि अधिसूचना वर्ष में वार्षिक भाड़ा मूल्य 170 रुपये प्रति वर्गमीटर हो तो)

आगामी वर्ष के लिए कर योग्य सम्पत्ति मूल्य का निर्धारण

वर्ष	कलक्टर गाईडलाईन में निर्धारित भवन का बाजार मूल्य (रुपये/वर्ग मी0)	बाजार मूल्य में वृद्धि (प्रतिशत)	कर योग्य सम्पत्ति मूल्य (रुपये/वर्ग मी0)
2019–20	42800		
2020–21	46500	12.85	170
2021–22			192

परिशिष्ट

(नियम 10(1) देखिए)

संपत्तिकर के स्वनिर्धारण के लिए विवरणी वर्ष

1.	संपत्ति के स्वामी का नाम (पिता/पति के नाम सहित एवं स्थायी पता दूरभाष नं. यदि हो)	
2.	संपत्ति कहां स्थित है का पूरा पता	
3.	निर्मित क्षेत्र [नियम 2 (छ)]	
4.	भवन पक्का है या कच्चा है	
5.	संपत्ति आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक है [नियम 2(ज) तथा 2(झ)]	
6.	खुली भूमि का क्षेत्र, (नियम 4)	
7.	कर योग्य सम्पत्ति मूल्य की गणना के लिए नगरपालिका द्वारा निर्धारित जो प्रासंगिक हो, प्रति वर्ग मीटर वार्षिक दर, [नियम 6(1)]	
8.	गणन किया गया कर योग्य सम्पत्ति मूल्य (नियम 9)	
9.	भवन तथा भूमियां जो विधवाओं या अवयस्कों या ऐसे व्यक्तियों के जो कि ऐसी शारीरिक निःशक्तता या मानसिक दौर्बल्य के अध्यधीन हो, जिनके कारण वे अपनी आजीविका उपार्जित करने में असमर्थ हों, स्वामित्व की हों, जहां कि ऐसी विधवाओं या अवयस्कों या व्यक्तियों के भरण–पोषण का प्रमुख स्त्रोत ऐसे भवनों तथा भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा हो, के लिए छूट।	
10.	भवनों के रख रखाव तथा रूफ वाटर हॉर्वेसटिंग के लिए कटौती (यदि लागू हों)	
11.	भवन तथा भूमि, भू–स्वामी के निवास हेतु प्रयोग में लायी जा रही है, तो कर योग्य सम्पत्ति मूल्य में पचास प्रतिशत की छूट।	
12.	उपरोक्त नियम 9, 10 तथा 11 के अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 136 या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127–क के अधीन दी गयी छूट के ब्यौरे दे।	
13.	कर योग्य सम्पत्ति मूल्य पर देय संपत्ति कर (नियम 10)	
14.	सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाश कर व सामान्य अग्नि कर की समेकित रकम (शासन द्वारा विहित न्यूनतम रकम + नगरपालिका द्वारा निर्धारित संपत्तिकर के प्रतिशत की रकम)	
15.	शिक्षा उपकर (जैसा कि परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए)	
16.	नगरीय विकास उपकर (जैसा कि परिषद् द्वारा निर्धारित किया जाए)	
17.	सरचार्ज की रकम, यदि देय हो	
18.	नगरपालिक कोष में भुगतान की जा रही कुल रकम	

	(13+14+15+16+17) का योग (अंकों तथा शब्दों में)	

टीपः–(1) विवरणी में यथा संदर्भित नियमों के उद्धरण अगले पृष्ठ पर देखे जा सकते हैं,
(2)प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग–अलग विवरणी प्रस्तुत हों।

....
संपत्ति के स्वामी/धारक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ....आत्मज ....निवासी ....यह सत्यापित करता हूं कि विवरणी में दी गई जानकारी सही है और यह कि मैंने जिस भवन/भूमि के संबंध में विवरणी दी गई है, उसका मैं स्वामी हूं।

....
(संपत्ति के स्वामी/धारक के हस्ताक्षर)

रसीद

वर्ष ....से संबधित विवरणी और भुगतान की गई रकम की रसीद/चालान की प्रति सहित प्राप्त

....
प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
(पूरा नाम व पदनाम् भी दर्शित किया जाए)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

अधि.क्र. 394—एफ—1—250—2020—अठारह—3.— भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2020

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 132 क के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (कमांक 37 सन् 1961) की धारा 127—ख के साथ पठित धारा 355 व 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार के अधिरोपण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ:—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (जलप्रदाय, मलजल, तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार) नियम, 2020 है।

(2) इनका विस्तार सभी नगरपालिक निगमों, नगरपालिकाओं तथा नगर परिषदों पर होगा।

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.—** (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961;

(ख) **"उपाबंध"** से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(ग) **"बिल"** से अभिप्रेत है, कोई समेकित भौतिक या इलेक्ट्रानिक दस्तावेज, जो नगरपालिका द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार, अन्य शुल्क तथा अधिभार की समेकित मांग दर्शाता है;

(घ) **"बिलिंग चक्र"** से अभिप्रेत है, वह अवधि जिसके लिए बिल जारी किया गया है;

(ड.) **"थोक अपशिष्ट उत्सर्जक"** से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 3(1) (8) के अधीन परिभाषित थोक अपशिष्ट उत्सर्जक या नगरपालिका द्वारा अधिसूचित थोक अपशिष्ट उत्सर्जक;

(च) **"निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट"** से अभिप्रेत है, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम 3(1) (ग) में परिभाषित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट;

(छ) **"नगरपालिका"** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम अथवा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद्;

(ज) **"नगरपालिका अधिकारी"** से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की दशा में नगरनिगम आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संबंधित नगरपालिक निगम का कोई अधिकारी या सेवक तथा नगरपालिका व नगर परिषद की दशा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संबंधित नगरपालिका या नगर परिषद् का कोई अधिकारी या सेवक;

(झ) **"विहित प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं पर आकलित वार्षिक व्यय को अनुमोदित करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञों की समिति;

(ञ) **"सार्वजनिक स्थल"** से अभिप्रेत है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए खुला है, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो अथवा नहीं;

(ट) **"स्पॉट फाईन"**से अभिप्रेत है, इन नियमों के उपाबंध "2" में यथा उल्लिखित किसी कृत्य के लिए अधिरोपित कोई शुल्क जो तत्काल देय होगा;

(ठ) **"अस्थाई जल संयोजन"** से अभिप्रेत है, अस्थाई प्रयोजन के लिए दिया गया संयोजन;

(ड) **"अनधिकृत संयोजन"** से अभिप्रेत है, कोई संयोजन जो जल प्रदाय प्रणाली या मलजल प्रणाली से नगरपालिका की बिना अनुमति और/या बिना आवश्यक शुल्क के भुगतान के या उक्त विहित उपबंधों के विरूद्ध लिया गया है;

(ढ) **"उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जो मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132–क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 धारा 127–ख में वर्णित सेवाओं का उपयोग करता है;

(ण) **"उपभोक्ता प्रभार"** से अभिप्रेत है, जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं पर उपगत व्यय की शत प्रतिशत वसूली के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132–क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127–ख के उपबंधों के अधीन अधिरोपित प्रभार।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा कि सामान्यतः या विशिष्टतः नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 तथा केन्द्र सरकार के अधिसूचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और निर्माण एवं विध्वंस नियम, 2016 में उनके लिए समनुदेशित किया गया है।

जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों की दरों का निर्धारण: प्रत्येक नगरपालिका, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132–क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127–ख के उपबंधों के अधीन जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरों का निर्धारण निम्नानुसार करेगी : –

(एक) नियम 4 में उल्लिखित मदों पर स्थानीय निधि संपरीक्षा अथवा सनदी लेखाकार (चार्टेड एकाउण्टेंट) द्वारा अंकेक्षित वास्तविक व्यय के आधार पर सेवाओं के लिए जलप्रदाय उपभोक्ता प्रभार की गणना इस रीति में की जाएगी कि जलप्रदाय सेवाओं पर उपगत वार्षिक व्यय की शत प्रतिशत वसूली हो सके ।

(दो) नियम 5 में उल्लिखित मदों पर अंकेक्षित वास्तविक व्यय के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपभोक्ता प्रभार की गणना इस रीति में की जाएगी कि ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर उपगत वार्षिक व्यय की शत प्रतिशत वसूली हो सके ।

(तीन) मलजल प्रभार, जलप्रदाय सेवाओं के लिए निर्धारित उपभोक्ता प्रभार का न्यूनतम 60 प्रतिशत होगा।

(चार) फीकल (मल) सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए उपभोक्ता प्रभार, जलप्रदाय सेवाओं के लिए निर्धारित उपभोक्ता प्रभार का न्यूनतम 40 प्रतिशत होगा:

परन्तु नगरपालिका द्वारा निर्धारित जलप्रदाय, मलजल तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरें विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्यय की वसूली हेतु आकलित न्यूनतम दर से कम नहीं होगी:

परन्तु, यह और कि उपरोक्त के संबंध में, विशेष परिस्थितियों में, राज्य शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपभोक्ता प्रभार का निर्धारण किया जा सकेगा जो बाध्यकारी होगा:

परन्तु यह और भी कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132–क की उप–धारा (2) के खण्ड (दो) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 धारा 127–ख की उप–धारा (2) के खण्ड (दो) के उपबंधों के अधीन नगरपालिका उपभोक्ता प्रभार के अतिरिक्त सम्पत्ति कर का निश्चित प्रतिशत अतिरिक्त प्रभार के रुप में आरोपित कर सकेगी:

परन्तु यह और भी कि इन नियमों के लागू होने के परिणामस्वरूप यदि प्रचलित उपभोक्ता प्रभार की दरों में दो गुने से अधिक वृद्धि होती है तब ऐसी अतिरिक्त वृद्धि आगामी तीन वर्षों में चरणवार इस रीति से की जाएगी कि तीसरे वर्ष तक उप–खण्ड (एक) एवं (दो) के अनुसार सेवाओं पर उपगत वार्षिक व्यय की शत प्रतिशत वसूली हो।

टीप: जलप्रदाय के लिए उपभोक्ता प्रभार की गणना उपाबंध 1 में दिए गए उदाहरण के अनुसार की जाएगी।

4. जलप्रदाय तथा मलजल सेवाओं के संचालन एवं संधारण पर व्यय के निर्धारण के लिए विचार में लिए जाने वाले मदः–

प्रत्येक नगरपालिका जलप्रदाय तथा मलजल सेवाओं के संचालन एवं संधारण पर होने वाले वार्षिक व्यय का निर्धारण निम्न मदों को दृष्टिगत रखते हुए पृथक्–पृथक् करेगी:–

(एक) संबधित शाखा के कर्मचारियों का वेतन तथा स्थापना संबंधित अन्य व्यय;

(दो) विद्युत व्यय;

(तीन) रासायनिक उपचार पर व्यय;

(चार) अनुपचारित पानी का मूल्य;

(पांच) एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, इन्टेक वेल, पम्प, पाइप, ओवरहेड टैंक एवं संलग्न मशीनरी के संधारण पर वार्षिक व्यय;

(छह) टयूबवेल के संचालन एवं संधारण पर व्यय;

(सात) यदि नगरपालिका ने सेवाओं के संचालन एवं संधारण के लिए ऋण लिया है, तो ऋण के पुनर्भुगतान की वार्षिक राशि;

(आठ) परिवहन व्यय;

(नौ) जन निजी भागीदारी अथवा बाह्य सेवा प्रदाता की सेवाएं लिए जाने की दशा में संचालन एवं संधारण पर व्यय;

(दस) सेवाओं से सम्बधित कोई अन्य व्यय।

5. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के संचालन एवं संधारण पर व्यय के निर्धारण के लिए विचार में लिए जाने वाले मदः** प्रत्येक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के संचालन तथा संधारण पर होने वाले वार्षिक व्यय का निधारण निम्न मदों को दृष्टिगत रखते हुए पृथक्–पृथक् करेगी:–

(एक) संबधित शाखा के कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य स्थापना संबंधित व्यय;

(दो) विद्युत व्यय;

(तीन) रासायनिक उपचार पर व्यय;

(चार) यदि नगरपालिका ने सेवाओं के संचालन एवं संधारण के लिए ऋण लिया है तो ऋण के पुनर्भुगतान की वार्षिक राशि;

(पांच) मशीनरी के संधारण पर व्यय;

(छह) ठोस अपशिष्ट संग्रह पर व्यय;

(सात) ठोस अपशिष्ट परिवहन पर व्यय;

(आठ) ठोस अपशिष्ट अलगाव (segregation) पर व्यय;

(नौ) ठोस अपशिष्ट निपटान पर व्यय;

(दस) जन निजी भागीदारी अथवा बाह्य सेवा प्रदाता की सेवाएं लिए जाने की दशा में संचालन एवं संधारण पर व्यय;

(ग्यारह) सेवाओं से सम्बधित कोई अन्य व्यय।

6. **अतिरिक्त शुल्क एवं अधिभार**:— प्रत्येक नगरपालिका नियम 3 के अधीन निर्धारित उपभोक्ता प्रभार के अतिरिक्त निम्न शुल्क एवं अधिभार आरोपित करेगी.—

(एक) पंजीयन शुल्क;

(दो) सुरक्षा राशि;

(तीन) सड़क कटाई एवं मरम्मत पर व्यय;

(चार) संयोजन शुल्क;

(पांच) विसंयोजन शुल्क;

(छह) मीटर सुरक्षा हेतु शुल्क;

(सात) मीटर का किराया एवं संधारण प्रभार;

(आठ) मीटर जांच शुल्क;

(नौ) उपभोक्ता प्रभार के विलंबित भुगतान पर अधिभार;

(दस) शासन द्वारा निर्धारित किया जाने वाला कोई अन्य शुल्कः

परन्तु राज्य शासन उपरोक्त के संबंध में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शुल्क/प्रभार का निर्धारण कर सकेगी, जो बाध्यकारी होगा।

7. **विहित प्राधिकारी की नियुक्ति, कर्तव्य तथा शक्तियां**:— राज्य शासन इन नियमों के उपबंधों के अधीन उपभोक्ता प्रभार की गणना के उद्देश्य से नियम 4 एवं 5 में उल्लिखित मदों के आधार पर नगरपालिका द्वारा आकलित वार्षिक व्यय के अनुमोदन हेतु एक विहित प्राधिकारी अर्थात् निम्नानुसार पाँच विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा —

(1) नगर निगमों के संबंध में—(राज्य स्तर पर)

(एक) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी— अध्यक्ष

(दो) संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा—सदस्य

(तीन) संयुक्त संचालक (वित्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय— सदस्य

(चार) आयुक्त, संबंधित नगरपालिक निगम—सदस्य

(पांच) प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय— सदस्य सचिव

(2) नगरपालिका परिषदों/नगर परिषदों के संबंध में—

(एक) संबंधित संभागीय आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी — अध्यक्ष

(दो) संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा—सदस्य

(तीन) संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास – सदस्य

(चार) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, संबंधित नगरपालिका/नगर परिषद–सदस्य

(पांच) संबंधित अधीक्षण यंत्री, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास –सदस्य सचिव

उपभोक्ता प्रभार की गणना के प्रयोजन से जलप्रदाय, मलजल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियम 4 एवं 5 में उल्लिखित मदों पर आकलित वार्षिक व्यय की जानकारी नगरपालिका द्वारा समिति को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कम से कम 4 माह पूर्व उपलब्ध करवाई जाएगी।

समिति, नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का परीक्षण करने के पश्चात् व्यय का अनुमोदन करेगी।

समिति, नगरपालिका से नियम 4 एवं 5 में उल्लिखित मदों पर हुए व्यय के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगी।

समिति, नगरपालिका से उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के एक माह के भीतर आवश्यक रूप से यथावश्यक बैठक आयोजित कर व्यय का अनुमोदन करेगी। निर्धारित समय–सीमा में समिति की बैठक आयोजित कर कार्यवाही करने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा अनुमोदित व्यय उपभोक्ता प्रभार की गणना के लिए निर्णायक आधार होगा।

8. **उपभोक्ताओं का वर्गीकरणः–** उपभोक्ताओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगाः–

श्रेणी	विवरण
क	आवासीय इकाईयां
ख	गैर आवासीय इकाईयां
ग	औद्योगिक इकाईयां
घ	शासकीय एवं अर्ध शासकीय इकाईयां

परन्तु नगरपालिका उनकी आवश्यकतानुसार उपरोक्त श्रेणियों को और उप–श्रेणियों में विभाजित कर सकती है।

नगरपालिका द्वारा संकल्प का अंगीकरण.– प्रत्येक नगरपालिका संकल्प द्वारा, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्राक्कलनों को अंतिम रूप से अंगीकार करते समय, ऐसी सीमाओं तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किया जाए, नगरपालिक निगमों की दशा में नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 132–क तथा नगरपालिक परिषदों/नगर परिषदों की दशा में नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127–ख के अधीन इन नियमों के अनुसार, उपभोक्ता प्रभार की श्रेणीवार दरों, सेवाओं से सम्बंधित अन्य फीस एवं अधिभार को निर्धारित करेगी :

परन्तु, किसी वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता प्रभारों/फीस की दरें विगत वर्ष से कम नहीं हो सकेंगी:

परन्तु यह और भी कि इन नियमों के प्रवृत्त होने के वर्ष में, उपभोक्ता प्रभार की दरें नियम 3 के प्रथम परन्तुक के अधीन निर्धारित की जाएंगी।

10. **संकल्प का अंगीकरण नहीं किए जाने की दशा में प्रक्रिया.–** यदि किसी वर्ष में नगरपालिका 31 मार्च तक नियम 9 के अधीन संकल्प को अंगीकार नहीं करती है, तब मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर परिषद्/अध्यक्ष परिषद् के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकरणों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम, 1998 के नियम 12 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

11. **उपभोक्ता प्रभार आदि की दरों का प्रकाशन.–** नियम 9 के अधीन नगरपालिका द्वारा संकल्प के अंगीकरण पर, नगरपालिका अधिकारी द्वारा नागरिकों की जानकारी हेतु दरों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। सुसंगत जानकारी कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी तथा नगरपालिका कार्यालय के सूचना पटल पर, वेबसाईट पर तथा अन्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी।

12. **उपभोक्ता प्रभारों के बिलिंग चक्र तथा वसूली प्रणाली.–**

(1) प्रत्येक नगरपालिका उपभोक्ता प्रभारों के बिलिंग चक्र तथा वसूली प्रणाली को निर्धारित करेगी तथा उपभोक्ता प्रभारों को ऑनलाईन या किसी अभिकरण (एजेन्सी) एवं बैंक शाखाओं के माध्यम से जमा करने की प्रणाली की घोषणा करेगी।

(2) किसी भवन या भूमि का मिश्रित उपयोग होने की दशा में, जल प्रदाय के लिए उपभोक्ता प्रभार उक्त संयोजन के लिए उपलब्ध उच्चतम दर पर प्रभारित किया जाएगा।

(3) नगरपालिका द्वारा मीटर द्वारा रजिस्टर की गई जल की वास्तविक खपत के लिए बिल जारी किया जाएगा। नगरपालिका बिना मीटर वाले संयोजनों के लिए उनके द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार बिल जारी करेगी।

(4) उपभोक्ता को अग्रिम भुगतान के लिए उस वित्तीय वर्ष के लिए नगरपालिका द्वारा यथा निर्धारित दर पर छूट प्रदान की जाएगी, किन्तु नगरपालिका एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही ऐसी छूट दे सकेगी, परंतु ऐसी छूट की रकम एक माह के उपभोक्ता प्रभार से अधिक नहीं होगी।

13. जल एवं मलजल संयोजन के लिए प्रक्रिया.—

(1) जल संयोजनः

स्थायी संयोजन

उपभोक्ता जल के स्थाई कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ विहित प्ररूप में ऑनलाईन या संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा। नगरपालिका आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् संयोजन स्वीकृत कर सकेगी और नियम 3 एवं 6 में यथा उल्लिखित रकम जमा करने के लिए आवेदक को सूचित करेगी। उक्त रकम जमा होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र और विहित अवधि के भीतर संयोजन प्रदान किया जाएगा।

अस्थाई संयोजनः

(एक) उपभोक्ता जल के अस्थाई संयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ विहित प्ररूप में ऑनलाईन या संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा।। नगरपालिका आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् संयोजन स्वीकृत कर सकेगी और नियम 3 एवं 6 में यथा उल्लिखित रकम जमा करने के लिए आवेदक को सूचित करेगी। उक्त रकम जमा होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र और विहित अवधि के भीतर संयोजन प्रदान किया जाएगा।

(दो) अस्थाई संयोजन एक बार में तीन माह से अधिक अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा, तथा नवीनीकरण फीस के भुगतान के साथ अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक समय– समय पर बढ़ाया जा सकेगा।

(तीन) आवेदक, संयोजन के अनुमोदन के समय अस्थाई संयोजन के लिए उपभोक्ता प्रभार तथा संयोजन फीस जमा करेगा।

(चार) अस्थाई संयोजन स्वीकृत अवधि का अवसान होने के पश्चात् उपभोक्ता के व्यय पर तत्काल विच्छेदित किया जाएगा।

(2) **मलजल संयोजनः** उपभोक्ता मलजल संयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ विहित प्ररूप में ऑनलाईन या संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेगा। नगरपालिका आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात् संयोजन स्वीकृत कर सकेगी और नियम 3 एवं 6 में यथा उल्लिखित रकम जमा करने के लिए आवेदक को सूचित करेगी। उक्त रकम जमा होने के पश्चात् विहित अवधि के भीतर संयोजन प्रदान किया जाएगा।

(3) **कनेक्शन की स्वीकृतिः** नगरपालिका द्वारा जल व मलजल संयोजन के लिए आवेदन पर विनिश्चय तथा संयोजन प्रदाय करने की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 (क्र. 24 सन् 2010) तथा अन्य सुसंगत उपबंधों में विहित समय सीमा के भीतर पूर्ण की जाएगी। किसी तकनीकी या अन्य कारणवश संयोजन की स्वीकृति नहीं दी जाने की दशा में नगरपालिका विहित समयावधि के भीतर आवेदक को सूचित करेगी। तकनीकी कारण से भिन्न आधार पर आवेदन अस्वीकृत होने की दशा में आवेदक त्रुटियों को दूर करने के पश्चात् नया आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(4) **अनधिकृत जल संयोजन का नियमितीकरण:** किसी अनधिकृत जल संयोजन का पता लगने पर उपभोक्ता को नियमितीकरण के लिए नगरपालिका द्वारा तत्काल सूचना जारी की जाएगी। सूचना जारी किए जाने के तीन माह के भीतर, उपभोक्ता की मांग पर, उक्त संयोजन, यदि तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, तो संयोजन फीस, जो कि विहित फीस से दस प्रतिशत अधिक होगी, जमा किए जाने के पश्चात् नियमित किया जाएगा:

परन्तु नगरपालिका द्वारा सूचना जारी किए जाने के पश्चात् भी यदि उपभोक्ता नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करता है, तो नगरपालिका द्वारा जलापूर्ति विच्छेदित कर दी जाएगी एवं शास्ति स्वरूप छह माह का उपभोक्ता प्रभार अधिरोपित किया जाएगा तथा अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन अन्य कार्रवाई के साथ वसूली प्रारंभ की जाएगी।

14. मीटरों के लिए उपबंध.–

(1) जहां तक संभव हो नगरपालिका यह सुनिश्चित करेगी, कि प्रत्येक जल संयोजन पर मीटर स्थापित किया जाए तथा मीटर द्वारा मापी गई वास्तविक खपत के आधार पर बिल प्रस्तुत किया जाए।

(2) नगरपालिका द्वारा स्थापित जल मीटर की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता उत्तरदायी होगा। मीटर चोरी होने या क्षतिग्रस्त होने की दशा में, नगरपालिका उपभोक्ता से मीटर की कीमत वसूल करेगी तथा उपभोक्ता के व्यय पर नवीन मीटर स्थापित करेगी।

(3) मीटर ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहां से रीडिंग आसानी से ली जा सके।

(4) रीडिंग लेना संभव नहीं होने की दशा में, विगत तीन बिलों के औसत पर रकम देय होगी।

(5) मीटर की जांच फीस के अग्रिम भुगतान पर की जाएगी। यदि मीटर दोषपूर्ण पाया जाता है, तो जमा की गई जांच फीस आगामी बिल में समायोजित की जाएगी।

(6) निरीक्षण के दौरान, यदि मीटर बन्द पाया जाता है तो नगरपालिका ~~को~~ उस अवधि के लिए औसत उपभोक्ता प्रभार प्रभारित करने का अधिकार होगा ।

15. एस डब्ल्यू एम नियमों के उल्लंघन पर स्पॉट फाईन.–

(1) एस डब्ल्यू एम नियमों या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन या अनुपालन करने में असफलता के लिए किसी व्यक्ति/समूह/संगठन/संस्था आदि के द्वारा इन नियमों के उपाबंध–2 में यथा उल्लिखित न्यूनतम स्पॉट फाईन, देय होगा।

(2) नगरपालिका अधिकारी, एम आई सी/पी आई सी के अनुमोदन से उपाबंध–2 में यथा उल्लिखित जुर्माना अधिरोपित करने हेतु किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा। पदाभिहित अधिकारी नियमों के अधीन स्पॉट फाईन की रकम एकत्रित करेगा।

(3) उपाबंध–2 के अनुसार स्पॉट पर स्पॉट फाईन संदत्त नहीं किए जाने की दशा में अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन आवश्यक कार्यवाई की जाएगी।

16. **विविध.**—

इन नियमों के निर्वचन या कार्यान्वयन में किसी संदेह या कठिनाई की दशा में, मामले को नगरपालिका अधिकारी के समक्ष रखा जाएगा, जिनका उस पर विनिश्चिय उस मामले में अंतिम होगा।

इन नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी किये जा सकेंगे।

17. **निरसनः** मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त समस्त नियम, उपनियम, उपविधिया, आदेश आदि, यदि कोई हो, निरसित हो जायेंगे।

उपाबंध–1

(नियम 3 देखिए)

जल प्रदाय तथा मलजल सेवाओं के उपभोक्ता प्रभार के निर्धारण का उदाहरणः
वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए उपभोक्ता प्रभारों की दरें निर्धारित करने के लिए प्रकिया

(1) आयतनात्मक (वाल्यूमेट्रिक) जलप्रदाय के लिए उपभोक्ता प्रभार

क = वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नियम 4 में उल्लिखित सभी सुसंगत मदों पर अंकेक्षित तथा विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित व्यय ।

ख = वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नगरपालिका द्वारा मीटर्ड संयोजन को कुल प्रदायित जल की मात्रा (किलो लीटर में)।

ग = वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रति किलो लीटर व्यय = **क/ख**

घ = वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रति किलो लीटर व्यय = **ग + ग का 5प्रतिशत**

ङ = वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रति किलो लीटर व्यय = **घ + घ का 5प्रतिशत**

(2) गैर–आयतनात्मक (नॉन–वाल्यूमेट्रिक) जल प्रदाय के लिए उपभोक्ता प्रभार

क = वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नियम 4 में उल्लिखित सभी सुसंगत मदों पर अंकेक्षित तथा विहित प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित व्यय ।

ख = वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नगरपालिका में बिना मीटर कनेक्शन की कुल संख्या।

ग = वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रति उपभोक्ता वार्षिक व्यय = **क/ख**

घ = वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए प्रति उपभोक्ता वार्षिक व्यय = **ग + ग का 5प्रतिशत**

ङ = वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रति उपभोक्ता वार्षिक व्यय = **घ + घ का 5 प्रतिशत**

वर्ष 2021–22 के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरें

श्रेणी	विवरण	उपभोक्ता प्रभार की न्यूनतम दरें	
		आयतनात्मक (वाल्यूमेट्रिक) (प्रति किलो लीटर)	नियत
क	आवासीय इकाईयां	ङ के बराबर	ङ के बराबर
ख	गैर आवासीय इकाईयां	ङ x 1.50	ङ x 1.50
ग	औद्योगिक इकाईयां	ङ x 2.00	ङ x 2.00
घ	शासकीय एवं अर्ध शासकीय इकाईयां	ङ के बराबर	ङ के बराबर

* किसी नगरपालिका में मीटर्ड एवं बिना मीटर के संयोजन होने की दशा में सुसंगत उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता प्रभार की गणना उपरोक्त 1 एवं 2 के अनुसार पृथक्–पृथक् रूप से की जाएगी।

बल्क संयोजन के संबंध में: बल्क संयोजन के लिए उपभोक्ता प्रभार की दरें नगरपालिका द्वारा फेरूल साईज तथा प्रदायित जल पर विचार करते हुए निर्धारित की जाएंगी।

उपाबंध – 2

(नियम 15 देखिए)

स्पॉट फाइन

अनुक्रमांक	कार्यविधि	फाइन (प्रत्येक उल्लंघन के लिए रुपए में)			
		नगरपालिक निगम			
		10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला	10 लाख से कम जनसंख्या वाला	नगरपालिका परिषद्	नगर परिषद्
1	ठोस अपशिष्ट डालने, गंदगी करने, थूकने, खुले में पेशाब करने, खुले में शौच करने, अपशिष्ट जलाने या अन्य कोई गतिविधि जिसमें नागरिकों की स्वच्छता या पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रभावित होता हो।	1000	500	200	100
2	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अपशिष्ट का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण नही करने, संग्राहक को कचरा प्रदान न करने, खुले में कचरा फेंकने या जलाने पर बल्क कचरा उत्सर्जक द्वारा (प्रतिदिन के मान से)	1000	500	300	100
3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अपशिष्ट का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण नहीं करने, संग्राहक को कचरा प्रदान न करने, खुले में कचरा फेंकने, या जलाने पर बल्क कचरा उत्सर्जक के अलावा (प्रतिदिन के मान से)	500	200	100	50
4	नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ईवेस्ट, सेनेटरी वेस्ट खुले में डालने या संग्राहक को नहीं देने पर। (प्रतिदिन के मान से)	500	200	100	50
5	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन अमानक प्लास्टिक प्रतिबंध की अवहेलना करने पर ।	500	250	200	200
6	शहर सीमाओं के भीतर आवासीय या व्यावसायिक क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थानों, कॉलोनियों की सड़कों पर खुले में निर्माण एवं ध्वंस अपशिष्ट डालने पर।	1000 एवं वास्तविक हटाए जाने की लागत	500 एवं वास्तविक हटाए जाने की लागत	300 एवं वास्तविक हटाए जाने की लागत	200 एवं वास्तविक हटाए जाने की लागत
7	गैर–आवासीय संस्था द्वारा फिश, पोल्ट्री, स्लॉटर हाउस, आदि द्वारा खुले में अपशिष्ट फेंकने या सामुदायिक भराव स्थल पर डालने पर	1500	1000	800	500

8.	खुले में या सार्वजनिक स्थलों पर पशुमल को विसर्जित करवाने और सफाई नहीं करने वालों पर	500	500	500	200
9	छोटे दुकानदारों, रेहड़ी वालों द्वारा शहर के सौंदर्य स्थानों, पार्कों, पर्यटन स्थलों आदि में खुले में अपशिष्ट फेंकने पर	500	300	250	100
10	जलप्रदाय व्यवस्था से छेड़छाड़ या क्षति पहुंचाना	क्षति की प्रतिपूर्ति के अलावा			
		1000	750	500	250
11	सीवेज व्यवस्था से छेड़छाड़ या क्षति पहुंचाना	क्षति की प्रतिपूर्ति के अलावा			
		1000	750	500	250

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2020

क्र. एफ–3–71–2020–अठारह–5.– मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उप–धारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभवना है, जानकारी के लिये, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है उक्त संशोधन प्रारूप पर, इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम–6 में, उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उन–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(3) अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक्रूप से पंजीकृत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर को, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् 300 वर्ग मी. तक के क्षेत्रफल के भूखण्डों पर, भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसी अनुज्ञा, ऐसे कॉलोनाईजर जो भूखण्ड/भवन विक्रय का आशय रखते हों, को, जारी नहीं की जा सकती:

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी भवन अनुज्ञा जारी करने की शक्ति किसी भी ऐसे वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर को नहीं देगा, जो नियम 26–क एवं 26–ख में उपबंधित मानदण्डों का पालन नहीं करते हों तथा जिन्हें न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव न हो।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2020

क्र. एफ–03–71–2020–अठारह–5.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ–03–71–2020–अठारह–5, दिनांक 7 नवम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 7 November 2020

No. F-371-2020-XVIII-5.- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Rules, 2012, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published, as required by sub-section (1) of section 85 of the said Adhiniyam for the information of all persons, likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any persons with respect to the said draft before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.